न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 177/2018/225 आरटीए

1. दयालसिंह पुत्र स्व. बाघसिंह जाति राजपूत निवासी माणकटिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. रामस्वरूप सिंह पुत्र स्व. बाघसिंह जाति राजपूत निवासी माणकटिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

–अपीलान्टस

–: बनाम :–

1. साधुसिंह पुत्र स्व. भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी माणकटिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

––रेस्पो0/प्रार्थी

2. रामेश्वरसिंह पुत्र स्व. बाघसिंह जाति राजपूत निवासी माणकटिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. श्रवणसिंह पुत्र स्व. बाघसिंह जाति राजपूत निवासी माणकटिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. इन्द्रसिंह पुत्र स्व. बाघसिंह जाति राजपूत निवासी माणकटिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. सावित्री देवी (पुत्री स्व. बाघसिंह) पत्नि उदयपाल सिंह जाति राजपूत निवासी रामपुरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का।
6. कलावतीदेवी (पुत्री स्व. बाघसिंह) पत्नि देवेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी रामपुरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का।
7. सोमती (पुत्री स्व. बाघसिंह) पत्नि सुभाषसिंह जाति राजपूत निवासी रामपुरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का।
8. सरोज (पुत्री स्व. औम सिंह पुत्र स्व. बाघसिंह) पत्नि श्यामसिंह जाति राजपूत निवासी गुरूद्वारा के पास रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानढ़।

––तरतीबी रेस्पो0

9. स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 11.05.2018 न्यायालय सहायक कलैक्टर टिब्बी
प्रकरण संख्या 51/2017 अनवानी साधुसिंह बनाम रामेश्वरसिंह आदि

उपस्थित :–

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलाण्टस
श्री भवानी सिंह निर्वाण अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 9

निर्णय दिनांक –03.08.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) आरटीए प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि चक 2

सत्यमेव जयते Web copy - Not official

सीडीआर के प.न. 237/220 मु.न. 22 कि.न. 22 से 24 व प.न. 237/221 मु.न. 26 के कि.न. 2, 9, 12 कुल 6 बीघा भूमि के लिये कोई रास्ता नही होने का कथन कर अपीलांटस की खातेदारी भूमि प.न. 237/221 मु.न. 26 कि.न. 5 के उतरी सिरे पर पूर्व से पश्चिम 1 बिस्वा व किला नं. 4 मे 20 फीट लम्बाई मे 1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किये जाने का अनुतोष चाहा। अपीलांटस व रेस्पो0 सं. 2 ता 8 ने संयुक्त रूप से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र का विरोध किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र रेस्पो0 सं. 1 स्वीकार करते हुए रास्ता स्वीकृत कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पो0 सं. 1 ने अपनी खातेदारी भूमि प.न. 237/220 मु.न. 22 के कि.न. 22 से 24 के लिये ही आवागमन की असुविधा प्रकट करते हुये अपीलांट की खातेदारी भूमि प.न. 237/221 मु.न. 26 के कि.न. 5 व 4 मे से रास्ता की मांग की थी जो कतई गलत व अनुचित थी। रेस्पो0 सं. 1 की उक्त भूमि से इसी मुरब्बा के कि.न. 25 मे से रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित था। अधीनस्थ न्यायालय ने प.न. 237/220 मु.न. 22 मे स्थित रेस्पो0 सं. 1 की भूमि कि.न. 22 से 24 के लिये इसी मुरब्बा के कि.न. 25 मे से रास्ता स्वीकृत न कर दक्षिणी मुरब्बा पत्थर नं. 237/221 मु.न. 26 कि.न. 5 व 4 मे से रास्ता स्वीकृत करने का अनुचित व विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है। अपीलाधीन आदेश के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये रास्ता व रेस्पो0 सं. 1 की भूमि प.न. 237/220 मु.न. 22 कि.न. 22 से 24 के मध्य पत्थर लाईन 21 पर प.न. 237/221 मु.न. 26 कि.न. 1 से 5 मे गैर मुमकिन खाला स्वीकृत व चालू है तथा ऐसी स्थिति मे उक्त गैर मुमकिन खाला के पार रेस्पो0 सं. 1 की भूमि के लिये रास्ता स्वीकृत होने से उक्त गैर मुमकिन खाला बाधा थी तथा बिना पुलिया के इस रास्ता का कोई औचित्य नही है। रेस्पो0 सं. 1 ने अपनी जिस भूमि के लिये रास्ता स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया है वह भूमि दूसरे मुरब्बे मे स्थित है जबकि रेस्पो0 सं. 1 को अपनी भूमि के लिये अपने ही मुरब्बा के कि.न. 25 मे सुविधाजनक व बिना किसी मोड़ का रास्ता उपलब्ध हो सकता था। अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज किया है। कानूनन इस प्रकारण मे प.न. 237/220 मु.न. 22 के कि.न. 25 के खातेदार को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था। प.न. 237/220 मु.न. 22 के कि.न. 25 मे रास्ता स्वीकृत किये जाने मे कोई बाधा नही थी तथा कि.न. 25 के खातेदार द्वारा अपनी उक्त भूमि मे जो कमरा निर्माण किया हुआ था वह कमरा भी कि.न. 25 मे 1 बिस्वा रास्ता

स्वीकृत किये जाने मे बाधक नही था। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय अपास्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 1 ता 3 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) आरटीए प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि चक 2 सीडीआर के प. न. 237/220 मु.न. 22 कि.न. 22 से 24 व प.न. 237/221 मु.न. 26 के कि.न. 2, 9, 12 कुल 6 बीघा भूमि के लिये कोई रास्ता नही होने का कथन कर अपीलांटस की खातेदारी भूमि प.न. 237/221 मु.न. 26 कि.न. 5 के उतरी सिरे पर पूर्व से पश्चिम 1 बिस्वा व किला नं. 4 मे 20 फीट लम्बाई मे 1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किये जाने का अनुतोष चाहा गया। उक्त प्रश्नगत रास्ता के अलावा रेस्पो. सं. 1 को अपनी भूमि मे आवागमन के लिए अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है। रेस्पो0 अपनी भूमि मे इसी चक उपरोक्त रास्ता मे से आता जाता रहा है जो मौका पर चालू है। परन्तु राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ता के संबंध मे तहसीलदार से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त करते हुए पत्रावली मे रिपोर्ट एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर रेस्पो0 सं. 1 को रास्ता की परम आवश्यकता के बिन्दू को मध्यनजर रखते हुए प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया गया है जो सही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावें।

5. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. 5 ने अपनी बहस मे कथन किया कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

6. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो. सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चक 2 सीडीआर के प.न. 237/221 मु.न. 26 कि.न. 5 के उतरी सिरे पर पूर्व से पश्चिम 1 बिस्वा व किला नं. 4 मे 20 फीट लम्बाई मे 1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर तहसीलदार की मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके अनुसार प.न. 237/220 मु.न. 22 कि.न. 5, 6, 15, 16, 25/प्रत्येक मे 0.025 है0 व प.न. 237/221 मु.न. 26 कि.न. 5, 6, 15, 16, 25/प्रत्येक मे 0.025 है0 प्रार्थी के खेत के निकटतम दूरी से कटानी रास्ता स्वीकृतशुदा है प्राथी प.न. 237/221 मु.न. 26 कि.न. 5 मे स्वीकृत रास्ते से कि.न. 5 सम्पूर्ण एवं कि.न. 4 मे 20 फुट रास्ता चाहता है जो खाले से चिपता हुआ है तथा इसी कटानी रास्ते से चाहता है मौके पर खाली है। अन्य रास्ता जो प. न. 237/220 मु.न. 22 के कि.न. 25/0.025 है0 स्वीकृत रास्ते से उपलब्ध है लेकिन कि.न.

25 मे रिहायशी ढाणी बनी हुई है जिस कारण उक्त कि.न. 25 मे रास्ता स्वीकृत किया जाना सम्भव नही है।'' उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 को अपनी खातेदारी कृषि भूमि मे आवागमन के लिये रास्ते की परम आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुये दस्तावेजी साक्ष्य के आधार विवेचन करते हुए प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया गया है जिसमे बिना किसी औचित्य व प्रक्रियात्मक त्रुटि हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही होने के कारण अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य नही होने के कारण अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.05.2018 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 03.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official